Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web: www.dfccil.gov.in

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

No. HQ/PIO/RTI/294/15 **Date: 30.09.2015**

श्री अब्दुल जब्बार,
पुत्र श्री भदई खां,
वार्ड न. 12, विकास नगर,
रेलवे स्टेशन के पास झींझक,
कानपुर देहात।

ED 88391154 8 IN

प्रेषण सं. ... हस्ताक्षर ...

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref.: Your application dt.25.07.205, received in this office on 20.08.2015

ED 88391155 1 IN

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:–

1. डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की विशेष मालभाड़ा परियोजना हेतु ग्राम–झींझक, तह.–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात की एलाइमेन्ट में आने वाली भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार किया गया है।
2. ग्राम–झींझक, तह.–डेरापुर, जिला कानपुर देहात की अर्जित भूमि में श्री अब्दुल जब्बार का मकान व भूमि प्रभावित है। ग्राम झींझक, तह.–डेरापुर, जिला कानपुर देहात की प्रभावित भूमि का अर्जन तीन चरणों में किया गया है। गाटा सं.70क रकबा 0.4100 हे. का अर्जन द्वितीय चरण में किया गया है। जिसमें श्री अब्दुल जब्बार की भूमि का अंश 1/2 है। इस भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत करते हुए 20ए की अधिसूचना कमांक 2752(अ) दिनांक 03.11.2010 को की गई है एवं 20ई अधिसूचना 1469(अ) दिनांक 22.06.2011 तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 05.09.2011 को घोषित किया गया है।
3. उक्त कमांक 2 पर उल्लेखित समस्त कार्यवाही तत्कालीन राजस्व अभिलेखों के आधार पर करते हुए अर्जित भूमि का मूल्यांकन नियमानुसार करके प्रतिकर का निर्धारण किया गया है।
4. श्री अब्दुल जब्बार द्वारा समय–समय पर सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत एवं अन्य प्रार्थना पत्र जब भी सीपीएम/कानपुर कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उसका उत्तर समयान्तर्गत श्री अब्दुल जब्बार को अथवा उचित माध्यम दे दिया गया है।
5. श्री अब्दुल जब्बार व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.12.14 जो आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ था। जिसपर उनके द्वारा गहनता से जॉच कर आख्या मांगी गई थी। जिसके सन्दर्भ में सीपीएम/कानपुर कार्यालय के पत्र सं. EDFC/CNB/OBJ-KD/Lot-101/133(A) दिनांक 14.04.2015 द्वारा मा. आयुक्त महोदय को उपलब्ध करादी गई, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

ED 88391156 5 IN

6. श्री अब्दुल जब्बार की मांग मुख्यतः यह है कि उनकी भूमि नगर पंचायत झींझक की सीमा में आती है। अतएव उनके द्वारा अपनी अर्जित भूमि का प्रतिकर नगर पंचायत क्षेत्र के अन्दर आने के आधार पर मूल्यांकित कर प्रतिकर की मांग की जा रही है।
7. प्रभावित भूमि का अर्जन रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत तत्कालिन राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई है और उसका मुल्यांकन भी राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित व्यवस्थानुसार करते हुए भूमि का प्रतिकर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार किया गया है। श्री अब्दुल जब्बार की प्रभावित भूमि तत्समय कृषि भूमि थी तदानुसार कृषि की दर से प्रतिकर का भुगतान किया गया है।
8. श्री अब्दुल जब्बार ने ग्राम – झींझक, तह.–डेरापुर, जिला कानपुर देहात, में अपनी प्रभावित भूमि गाटा सं. 70 ख के प्रतिकर की धनराशि रू. 2,90,939/– (शब्दों में दो लाख नब्बे हजार नौ सौ उन्तालीस) की धनराशि प्राप्त कर लिया है।
9. श्री अब्दुल जब्बार द्वारा जिला अधिकारी के आदेश 26.11.2014 के अनुसार विषयगत भूमि के अमलदरामद के आधार पर प्रतिकर की मांग की जा रही हैं, जो सक्षम अधिकारी के स्तर से सम्म्व नहीं है। श्री अब्दुल जब्बार द्वारा मां. आयुक्त/आर्बीट्रेटर कानपुर मण्डल कानपुर के समक्ष वाद दायर करने के उपरांत ही उनके आदेश प्राप्त होने पर प्रतिकर में पुनरीक्षित संशोधन किया जा सकता है।
10. श्री अब्दुल जब्बार व अन्य द्वारा ग्राम–झींझक, तह.–डेरापुर, जिला कानपुर देहात अर्जित भूमि की अधिसूचनाओं एवं अभिनिर्णय को निरस्त करने की मांग की जा रही हैं, जो कि संभव नहीं हैं क्योंकि घोषित अभिनिर्णय में प्रभावित भूमि के भू–स्वामियों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है। अतएव अभिनिर्णय को निरस्त कर फिर से अर्जन की कार्यवाही वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार किये जाने का कोई आधार नहीं है। इस अभिनिर्णय में किसी भी कमी अथवा भूमि का मूल्यांकन संशोधित दर से किये जाने के आदेश मा. आर्बीट्रेटर/आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर, के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिये श्री अब्दुल जब्बार को मा. आर्बीट्रेटर महोदय के समक्ष राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर आवश्यक आदेश प्राप्त करना चाहिये।

In case, you are not satisfied with the information provided herewith you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the **Appellate Authority, GGM/Admn, DFCCIL, New Delhi.**

DA: As above.

(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to : -

1. Director/Planning (Spl.), Railway Boards – In reference to Board's letter No. 2015/Infra/15/15 dt. 18.08.2015.
2. CPM/Tundla